झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

इच्छा की अभिव्यक्ति

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची में वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–2132 दिनांक–25.06.19 के द्वारा त्रिसदस्यीय वक्फ न्यायाधिकरण अधिसूचित है। त्रिसदस्यीय वक्फ न्यायाधिकरण के गठन के क्रम में एक सदस्य (अनारक्षित), जो मुस्लिम नियमों एवं न्यायशास्त्र के जानकार हो, की संविदा के आधार पर (पे बैण्ड–ii, 9300–34800/–, ग्रेड पे–4200/–) मासिक मानदेय 30759/–रूपये पर दो वर्षों के लिए नियुक्ति की जानी है।

इच्छुक अभ्यर्थी निम्न अहर्त्ता के आधार पर आवेदन कर सकते है:–

(1) अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से BA(LLB) (Full time degree course) की डिग्री प्राप्त हो। अभ्यर्थी अपना शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, निवास प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति विहित आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करेगें।

(2) मुस्लिम नियमों एवं न्यायशास्त्र के जानकार हो।

(3) उर्दु लिखने एवं पढ़ने की योग्यता हो।

(4) अभ्यर्थी State Bar Council से पंजीकृत हो।

(5) अभ्यर्थी को कम से कम 5 वर्षों का मुस्लिम नियम/न्यायशास्त्र से जुड़े मामलों के case, court में पक्ष रखने का अनुभव हो।

(6) अभ्यर्थी झारखण्ड का निवासी हो।

(7) अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष होगी।

(8) नियुक्त सदस्य की सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर दो वर्षों की सेवा पूर्ण होने से पूर्व सेवा से हटाया जा सकेगा।

(9) नियुक्त सदस्य की सेवा संतोषजनक पाए जाने पर सेवा अवधि विस्तार करने पर विचार किया जाएगा। किन्तु अवधि विस्तार की उम्र सीमा अधिकतम 65 वर्षों की होगी।

(10) संविदा पर नियुक्त सदस्य इस नियुक्ति के आधार पर अवधि विस्तार/स्थायी नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

(11) आवेदित अभ्यर्थियों में से एक सदस्य का चयन, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार/अन्तर्विक्षा के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार/अन्तर्विक्षा की सूचना अभ्यर्थी को ई–मेल/मोबाईल पर दी जाएगी।

(12) साक्षात्कार/अन्तर्विक्षा हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

योग्य अभ्यर्थी विस्तृत योग्यता एवं अनुभव विवरणी के साथ अपना आवेदन विहित आवेदन फॉर्म में भरकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची, द्वितीय तल, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में दिनांक–31.07.19 के 5:00 बजे अपराह्न तक जमा कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विहित आवेदन फॉर्म वेबसाइट–www.jsmc.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

11/7/19

अपर सचिव

G:\Misc Hindi Letter2.Docx